सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-33 अंक-5 7 से 21 मार्च, 2018 मुख्य संपादक - कॉमरेड प्रभास घोष मूल्य : 2 रुपये

प्रधानमंत्री की चुप्पी से लगता है बीजेपी के करीबी हैं जालसाज

विजय माल्या, ललित मोदी और नीरव मोदी - वाह! देश के इन सब राष्ट्रवादी सपूतों के क्या कहने! इन सभी से राष्ट्रीयतावाद की चैम्पियन बीजेपी का गहरा संबंध है। इन सुसम्बन्धों की बदौलत ही भाजपा सरकार एक के बाद दूसरे भ्रष्टाचार में फंसती जा रही है। प्रधानमंत्री और भाजपा का करीबी हीरे-जवाहरात का व्यापारी, नीरव मोदी मुंबई के पंजाब नेशनल बैंक से हथियाये गए लैटर ऑफ अण्डरस्टैण्डिंग का इस्तेमाल करके भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से 11,400 करोड़ रुपए की जालसाजी करके विदेश भाग गया। पीएनबी के अलावा, अन्य कई बैंकों से नीरव मोदी और उसके रिश्तेदारों ने कुल मिला कर लगभग 20 हजार करोड़ रुपये हड़प लिये हैं। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते जा रहे हैं, त्यों-त्यों और भी कई तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं। धोखाधड़ी के मामलों की बढ़ती संख्या से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। सवाल है कि फिजूलखर्जी, धोखाधड़ी, गबन, झूठी जानकारी, बैंक कर्ज कहीं दूसरी जगह लगा देने, आडिट में फर्क सहित कितना व्यावसायिक कारण से और कितना जालसाजी की वजह से राष्ट्रीयकृत बैंकों का यह न वसूला जा सकने वाला कर्ज (एनपीए) लगभग 12 लाख करोड़ रुपया हो गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री अरुण जेटली की चुप्पी से साफ जाहिर है कि सरकार को इसके बारे में सब कुछ पता था। एक ओर, एफआरडीआई बिल, दूसरी ओर धनकुबेरों द्वारा लगातार राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण की मांग उठाई जाना, इन दोनों के बीच गहरी मिलीभगत होने का शक भी लगातार गहराता जा रहा है।

यह देश के बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के सबसे बड़े मामलों में से एक है। अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े कई विशेषज्ञों का मानना है कि नीरव मोदी का यह घोटाला तो हिमशैल का पानी से ऊपर दिखाई देने वाला शिखर मात्र है। यदि ठीक से खोदा जाये, तो केंचुआ नहीं, बल्कि सांप ही बाहर निकल कर आयेगा। पिछले पांच सालों में, राष्ट्रीयकृत बैंकों में धोखाधड़ी की 8670 घटनाएं हुई हैं जिसकी राशि लगभग 61,260 करोड़ रुपये बनती है। इसने बीजेपी शासन में तो एक खतरनाक रूप ले लिया है। पीएनबी के घोटाले के अलावा, वित्तीय वर्ष 2016-17 में उनकी राशि 17,634 करोड़ रुपये थी। लेकिन जिस तरह नीरव और उसके परिवार के निश्चिंत होकर देश छोड़ कर बाहर चले जाने के बाद उनके खिलाफ केस दायर किया गया है, जिस तरह उसके बाद भी स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में शामिल होने पर प्रधानमंत्री से उसकी मुलाकात हुई है, जिस तरह प्रधानमंत्री के घर पर उसे निमंत्रण पर बुला कर उसके साथ बैठक करने की खबरें छपी हैं उनसे इस जालसाजी के पीछे एक सुनियोजित साजिश और उसमें बीजेपी के नेताओं की सांठगांठ साफ जाहिर हो रही है। इसलिए केंचुआ, कीड़ा यह बिल्कुल नहीं है और सरकार इसे खोद कर बाहर हरगिज नहीं निकालेगी यह प्राय जोर देकर कहा जा सकता है।

नीरव मोदी कोई पहला शख्स नहीं है, इससे पहले भाजपा सरकार के बड़े-बड़े नेताओं और मंत्रियों ने आईपीएल घोटाले में शामिल ललित मोदी को देश से भाग जाने में मदद की थी, फिर शराब के बहुत बड़े कारोबारी विजय माल्या को भी इसी तरह बड़ी मात्रा में बैंकों का रुपया मार कर विदेश भाग जाने में मदद की थी। आज भी, ठाठ-बाट से वे विदेशों में रहते हैं। भाजपा सरकार ने उनका बाल तक भी छूने की कोशिश नहीं की है। नीरव मोदी के भ्रष्टाचार के बारे में बहुत दिनों से आरोप लगते रहे हैं। हरि प्रसाद नामक एक व्हीसल ब्लोअर ने जुलाई 2016 में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को एक विस्तारित चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि पंजाब नेशनल बैंक में विजय माल्या के घोटाले जैसा ही घोटाला चल रहा है जिसमें लोन लिये गए हैं जो वापस नहीं चुकाये जा सकते हैं। वे एनपीए बन जायेंगे, तो इस पर आप कुछ कार्रवाई करिये। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस चिट्ठी की पावती भी दी थी लेकिन इस चिट्ठी के बावजूद न तो प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा, न सीबीआई या ईडी द्वारा इस घोटाले को रोकने के लिए कोई भी कार्रवाई की गई। इसकी बजाय रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज (आरओसी) की ओर से चिट्ठी का जवाब आया कि आपका केस बंद कर दिया गया है। यानी वहां घोटाला होता जा रहा था और हरि प्रसाद को बताया जा रहा था कि आपका केस बंद कर दिया गया है। लेकिन

(शेष पृष्ठ 7 पर)

मेट्रो किराया वृद्धि वापस लेने व छात्रों को रियायती पास देने की मांग पर प्रदर्शन

नई दिल्ली : पिछले साल दिल्ली मेट्रो के किराए में दो चरणों में हुई तकरीबन दोगुनी वृद्धि के खिलाफ 20 फरवरी को एआईडीएसओ की दिल्ली राज्य कमेटी के तत्वावधान में डी.एम.आर.सी. मुख्यालय, मेट्रो भवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी बाराखम्बा रोड मेट्रो स्टेशन के पास एकत्रित होकर मेट्रो भवन तक गए जहाँ पर सभा हुई। इस प्रदर्शन में विभिन्न कॉलेजों, विश्वविद्यालयों व इलाकों से छात्र-नौजवान, महिलाएं और कामकाजी लोग शामिल हुए। इस मांग का समर्थन करते हुए ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन, एआईडीवाईओ व एआईयूटीयूसी के कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। वहां हुई सभा को एआईडीएसओ के राज्य अध्यक्ष कॉ. प्रशान्त कुमार के अलावा अन्य राज्य कमेटी सदस्यों, एआईयूटीयूसी के राज्य सचिव कॉ. मैनेजर चौरसिया, एआईएमएसएस की राज्य सचिव कॉ. रितु कौशिक व एआईडीवाईओ के राज्य उपाध्यक्ष कॉ. प्रभास यादव ने संबोधित किया। सभा का संचालन एआईडीएसओ की राज्य सचिव श्रेया सिंह ने किया। एआईडीएसओ के राज्य उपाध्यक्ष कॉ. राहुल सरकार के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल द्वारा डी.एम.आर.सी. के मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया।

वक्ताओं ने मेट्रो किराये में हुई वृद्धि को जनविरोधी करार देते हुए कहा कि इस फैसले ने मेट्रो रेल सेवा की स्थापना के उद्देश्य को नकार दिया है जो था आम जनता को सस्ता, तेज और स्वच्छ पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रदान करना। इस नाजायज किराया वृद्धि ने पूरे दिल्ली में लाखों यात्रियों पर भारी आर्थिक बोझ डाल दिया है। छात्र समुदाय उनमें से

सबसे ज्यादा पीड़ित तबका है। इस तरह की भारी किराया वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति और भी डाँवाडोल हो जाएगी और सम्भव है कई छात्रों को उच्च शिक्षा से निकल जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वस्तुत: यह उनके शिक्षा के अधिकार पर ही हमला है। मेट्रो के किराये को दे पाने में असमर्थ दूर-दराज़ से आने वाले छात्रों को काफी समय लगाकर बस में आना पड़ता है जिससे उनके पास उपलब्ध समय का एक बड़ा हिस्सा सफर में चला जाता है और उनका अध्ययन बाधित होता है। विशेषकर छात्राओं के लिए यह परेशानी का सबब बना हुआ है जिन्हें मेट्रो जैसे सुरक्षित परिवहन साधन को छोड़कर मजबूरन बसों में सफर करना पड़ रहा है और उनके साथ आए दिन छेड़खानी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। यह किराया वृद्धि महिलाओं, कामगारों, नौजवानों सहित सभी तबके के लोगों के लिए एक परेशानी की वजह बनी हुई है। इस किराया वृद्धि के कारण करीबन 3 लाख लोग दिल्ली मेट्रो में सफर करना छोड़ चुके हैं।

वक्ताओं ने मांग किया कि दिल्ली की आम जनता के लिए मेट्रो का सफर सहज सुलभ करने के लिए बढ़ा हुआ मेट्रो किराया तुरन्त वापस लिया जाना चाहिए, छात्रों के लिए मेट्रो में रियायती पास उपलब्ध करवाया जाना चाहिए और मेट्रो के आय-व्यय का ब्यौरा कैग के द्वारा करवाया जाना चाहिए। साथ ही वक्ताओं ने दिल्ली की आम जनता से इस आंदोलन को और मजबूत करने व आगे बढ़ाने की अपील की।

किसानों के जीवन की समस्या को सुलझाने के लिए सोवियत समाजवाद ने कायम की थी एक अनोखी मिसाल

रूस की नवम्बर क्रांति के सौ साल हो चुके हैं। सौ साल पहले, क्रान्ति-पूर्व रूस के ग्रामीण जीवन की वैसी ही हालत थी, जैसे कि भारत की। जमीन के छोटे-छोटे खेतों में हल-बैल से खेती होती थी। जमींदार-जागीरदारों का जुल्म-अत्याचार था। महाजनों से लिए हुए कर्ज तले किसान दबे पड़े थे। अकाल से हाहाकार मचा हुआ था, अशिक्षा थी, सामंती कुसंस्कार थे। मलेरिया, हैजा आदि बीमारियों से गांव के गांव उजड़ जाते थे। भारत के किसान की हालत भी ऐसी ही थी। रूस का ग्रामीण जीवन इससे कुछ भिन्न नहीं था।

1914 में, जार शासित रूस प्रथम विश्व युद्ध की चपेट में आ गया था। लगभग चार वर्षों से युद्ध के चलते-चलते, रूस की अर्थव्यवस्था में घोर तबाही मच गयी थी। कृषि और औद्योगिक उत्पादन एकदम रसातल में पहुंच गया था। फरवरी 1917 की क्रान्ति से जार को उखाड़ फेंक कर बुर्जुआ सरकार कायम हुई थी। लेकिन नए शासकों ने युद्ध बंद नहीं किया। नतीजतन, आर्थिक स्थिति आगे और भी बदतर होती गयी। नवंबर में, लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी क्रांति हुई। युद्ध से तबाह, अकाल से ग्रसित, अत्यन्त पिछड़े इस देश का नव निर्माण करने की जिम्मेदारी लेनिन और उनकी बोल्शेविक पार्टी ने ली।

नवम्बर क्रांति के बाद, रूस में पूरी तरह से बिल्कुल नये किस्म का भूमि सुधार शुरू हुआ, नई भूमि प्रणाली की शुरुआत हुई। कृषि जिन्सों के व्यापार वाणिज्य में भी पूरी तरह नया नियम लागू हुआ। इस नयी व्यवस्था के फलस्वरूप रूस के किसानों को क्या मिला। किस तरह की थी उसकी नयी भूमि प्रणाली। किस तरह वह लागू की गयी—नवम्बर क्रान्ति के शताब्दी वर्ष के परिप्रेक्ष्य में जरा इस पर गौर किया जाये।

मार्क्स-एंगेल्स का सैद्धान्तिक दिशानिर्देश

1917 में 7 से 17 नवंबर तक दुनिया को हिला देने वाले 10 दिन में महान लेनिन के नेतृत्व में रूस के मजदूर वर्ग ने पूँजीपति वर्ग को सत्ता से उखाड़ फेंक कर इस पर कब्जा कर लिया था। क्रान्ति को विजयी बनाने का यह काम बेहद मुश्किल था। लेकिन उससे भी कहीं कठिन था क्रांति की रक्षा करना और कृषि, उद्योग सहित हर चीज में समाजवादी प्रणाली लागू करना। इसके लिए बहुत ही मजबूत बुनियाद पर आधारित सैद्धांतिक दिशानिर्देश जरूरी था। यह मार्गदर्शन महान मार्क्स और एंगेल्स ने दिया था—जिसे हम मार्क्सवाद के रूप में जानते हैं। मार्क्सवाद ने दिखाया है कि समाज की दूसरी सम्पत्तियों के साथ-साथ भूमि-सम्पत्ति पर भी व्यक्तिगत मालिकाना खत्म करने के जरिए ही किसानों के जीवन में शोषण का खात्मा करना सम्भव है। इसलिए 'कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र' में, मार्क्स-एंगेल्स ने स्पष्ट रूप से 'भूमि के स्वामित्व के अंत' की बात कही थी। भूमि के इस स्वामित्व का अन्त करना न तो अकेले किसानों द्वारा सम्भव है और न ही अकेले मजदूरों द्वारा, 1848-50 के दौरान फ्रांस में गठित हुए वर्ग-संघर्ष का विश्लेषण करके यह दिखाते हुए मार्क्स ने मजदूर वर्ग के साथ किसानों की दोस्ती कायम करने की बात कही थी। मार्क्स ने कहा था, "जब तक ऐसा नहीं किया जाता है तब तक मजदूर वर्ग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पायेंगे और पूँजीवादी व्यवस्था का बाल भी बांका नहीं कर पायेंगे।"[1] एंगेल्स ने भी 'जर्मनी में किसान युद्ध' नामक ग्रन्थ की भूमिका में किसानों के साथ मजदूर वर्ग की एकता की बात जोरदार ढंग से उठायी थी।[2]

लेकिन समाजवाद के पक्ष में, मजदूर वर्ग के साथ एकता कायम करने की कहने से ही क्या किसान आगे आ जाएंगे? कल-कारखानों में जो मजदूर काम करते हैं, उनके पास जीवन यापन के लिए केवल उनकी श्रम शक्ति है। श्रम शक्ति को बेचकर हर पल वे शोषित होकर मालिकों के मुनाफे का अम्बार लगाते रहते हैं। यह जब वे समझ जाते हैं, तब उनका समाजवाद के पक्षधर होना ही स्वाभाविक है। लेकिन जो किसान छोटी या अति छोटी जोत के मालिक हैं अथवा मध्यम वर्गीय किसान हैं उनका भी बड़े-बड़े जमींदारों या पूँजी के मालिकों द्वारा तरह तरह से शोषण किया जाता है लेकिन चाहे जितनी भी मामूली जोत उनके पास क्यों न हो, सम्पत्ति का मालिकाना बोध उन्हें समाजवाद के प्रति आशंकित रखता है। इसलिए एंगेल्स ने कहा था, "इस नाते उसे (छोटे किसान को) समाजवादी प्रचार पर तत्परता से कान देना चाहिए था। किन्तु फिलहाल सम्पत्ति के प्रति उसका अनुराग उसे ऐसा करने से रोके हुए है। खतरे में पड़े जमीन के अपने नन्हे से टुकड़े की हिफाजत करना उसके लिए जितना अधिक कठिन होता जाता है, उतना ही अधिक वह उससे जी-जान से चिपकता जाता है, और उतना ही अधिक वह भू-सम्पत्ति को पूरे समाज को हस्तांतरित करने की बातें करने वाले सामाजिक-जनवादियों को सूदखोरों और वकिलों की तरह खतरनाक समझने लगता है। सामाजिक-जनवाद इस पूर्वाग्रह को किस प्रकार दूर करे? वह अपने प्रति ईमानदारी बरतते हुए छोटे किसानों को, जिनका विनाश निश्चित है, क्या दिलासा दे?"[3]

यह सम्पत्ति बोध जनित विरोध दूर करके किस तरह छोटे किसानों को समाजवाद के पक्ष में लाया जाये इस बारे में एंगेल्स ने कहा था, "...जब हमारे हाथों में राजसत्ता आयेगी, तब हम बलपूर्वक छोटे किसानों की सम्पत्ति (बामुआवजा या बिना मुआवजा) जबरदस्ती छीनने की - जो काम हमें बड़े जमींदारों के मामले में करना पड़ेगा - बात भी नहीं सोचेंगे। छोटे किसानों के सम्बन्ध में हमारा कार्य प्रथमतः उनके निजी उद्यम और निजी स्वामीत्व को सहकारी उद्यम और सहकारी स्वामीत्व में रूपान्तरित करना होगा। और बलपूर्वक नहीं, बल्कि उदाहरण पेश करके तथा इस उद्देश्य से सामाजिक सहायता देकर यह किया जायेगा। कहने की जरूरत नहीं है कि उस समय छोटे किसानों को ऐसे भावी लाभ, जो उन्हें आज भी स्पष्ट होंगे, दिखाने के हमारे पास प्रचुर साधन होंगे।"[3]

सापेक्षतः मझौले और बड़े किसानों के बारे में एंगेल्स ने कहा था, "...हमें आर्थिक दृष्टि से यह पक्का यकीन है कि छोटे किसानों की तरह बड़े और मझोले किसान भी अवश्य ही पूंजीवादी उत्पादन और सस्ते विदेशी गल्ले की होड़ के शिकार बन जायेंगे। यह इन किसानों को भी बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता और सभी जगह दिखाई पड़ रही अवनति से सिद्ध हो जाता है। इस अवनति का इसके सिवा हमारे पास कोई इलाज नहीं है कि उन्हें भी सलाह दें कि वे अपने-अपने फार्मों को एक में मिला कर सहकारी उद्यमों की स्थापना करें, जिनमें उजरती श्रम के शोषण का अधिकाधिक उन्मूलन होता जायेगा, और जो धीरे-धीरे उत्पादकों के एक महान राष्ट्रीय सहकारी उद्यम के संघटक अंगों में परिवर्तित किये जा सकते हैं, जिनमें प्रत्येक शाखा के अधिकार और कर्त्तव्य समान होंगे। यदि ये किसान यह महसूस करें कि उनकी मौजूदा उत्पादन पद्धति का विनाश अवश्यम्भावी है और इससे आवश्यक सबक हासिल करें, तो वे हमारे पास आयेंगे और यह हमारा कर्त्तव्य हो जायेगा कि नयी उत्पादन पद्धति में उनके भी संक्रमण को शक्ति भर सुगम बनायें।"[3]

बड़े जागीरदारी की सम्पत्ति के बारे में एंगेल्स ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, "केवल बड़ी-बड़ी जागीरदारियों का मामला ऐसा है, जो बिल्कुल सीधा और साफ है। ... ज्यों ही हमारी पार्टी राजसत्ता प्राप्त करती है, उसे बड़े भूस्वामियों की सम्पत्ति उसी तरह से ले लेनी चाहिए, जिस तरह उद्योग में कारखानेदारों की सम्पत्ति ले ली जायेगी।... इस तरह फिर समाज के हाथों में वापस आ जाने वाली बड़ी-बड़ी जागिरदारियों को हम उन ग्रामीण मजदूरों के हवाले करेंगे, जो उन्हें पहले से ही जोतते आये हैं, और जो सहकारी संस्थानों में संगठित किये जायेंगे। हम जमीन उनको समाज के नियंत्रण में उनके उपभोग के लिए देंगे। भूमि पर उनके अधिकार की शर्तें क्या होंगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जो भी हो, पूंजीवादी उद्यम के सामाजिक उद्यम में रूपान्तरण के लिए यहां उसी तरह जमीन तैयार हो चुकी है, ... इस तरह हम ग्रामीण सर्वहाराओं के लिए उतना ही सुन्दर भविष्य इंगित कर सकते हैं, जितना सुन्दर भविष्य शहर के औद्योगिक मजदूरों के सामने है।"[3]

ग्रामीण रूस की विशेष स्थिति

भू-दासप्रथा को समाप्त करके किसानों के हाथों में जमीन देने की मांग उस युग की एक जनवादी मांग थी। अन्य यूरोपीय देशों, विशेष रूप से फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में भू-दासप्रथा के उन्मूलन और किसानों के जनवादी अधिकारों के हासिल होने का प्रभाव रूस की सरजमीं पर भी पड़ा था। नतीजतन, जारशाही रूस में भूदास व्यवस्था के खात्मे और किसानों के हाथों में जमीन देने की मांग 1850 के बाद से ही जोर पकड़े लगी थी। किसान विद्रोह शुरू हो गया था इसके खिलाफ जार, अभिजात्य वर्ग और जमींदार जिस तरह थे, वहीं भूस्वामियों के स्वार्थ में प्रधान धर्माध्यक्ष फिलारेत भी धर्म भीरू लोगों को समझाते रहते थे कि भूदासता धर्मशास्त्रों और ईश्वर द्वारा अनुमोदित है। किन्तु किसानों को तब पुरोहितों की इन सब बातों पर विश्वास नहीं रहा। उनका विद्रोह जोर पकड़ता गया। कुछ दिन बाद क्रिमिया के युद्ध में परास्त होकर जार हुकूमत कमजोर पड़ गयी थी और किसान विद्रोह से आशंकित जार हुकूमत 1861 में भूदास प्रथा उन्मूलन के लिए मजबूर हुई थी।

लेकिन भूदास प्रथा के उन्मूलन के फलस्वरूप कुछ अधिकार हासिल कर लेने पर भी सही मायने में यूरोप के अन्य देशों की तरह जमींदारों के जुल्म से किसानों को मुक्ति नहीं मिली। भूदास प्रथा खत्म हो जाने पर भी भू-स्वामियों ने हेरा-फेरी से जमीन के बड़े-बड़े पट्टे किसानों से छीन कर खुद हथिया लिये थे। पुश्तैनी तौर पर किसान जिस जमीन पर खेती किया करते थे, अभिजात्यों की कमेटी की सिफारिश के मुताबिक वे उसी जमीन को खरीद लेने के लिए मजबूर किये गये थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कमेटी द्वारा जारी की गयी सनद किसानों द्वारा मानी जाने और बंजर छोटी जमीनों को जबरदस्ती किसानों के हवाले कर देने को मजबूर करने के लिए जार हुकूमत फौजी मार्शल ला लागू कर देती थी और कई इलाकों में फौज तक भेज देती थी। लेनिन ने इसको जार हुकूमत के सहयोग से अभिजात्यों की कमेटी की किसानों पर सरासर डकैती करार दिया था। यूरोप के अन्य देशों में भूदास प्रथा के खात्मे के बाद किसान काफी हद तक स्वतंत्र थे। वे बिना किसी की अनुमति लिए ही जिस किसी को अपनी जमीन खरीद-बेच सकते थे लेकिन जारशाही रूस में भूदास प्रथा के खात्मे के बाद अपनी इच्छा के मुताबिक अपनी जमीन बेचने के अधिकारी होने के बावजूद भी किसान ग्रामसभा की इजाजत के बिना अपनी जमीन नहीं बेच पाते थे। कारण यह बताया जाता था कि अगर गरीब किसानों को अपनी जमीन बेचने का अधिकार दिया गया, तो हो सकता है कि किसान जमीन बेच कर मिला पैसा फिजूलखर्ची में उड़ा देंगे। निरोदनिक और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी भी इन सब बातों पर विश्वास करके 'किसानों की मंगल कामना के लिए' किसानों के जमीन बेचने की मनाही की बात मान लेते थे और कहा करते थे कि जमीन बेचने देने से तो अच्छा है वे भूदास ही बने रहें।

भूदास प्रथा उन्मूलन के बाद भी, किसानों द्वारा तब तक सामंती गुलामी की तरह ही जमींदारों को तरह-तरह के टैक्स अदा करने पड़ते थे। जमीन का बंटवारा भी जागीरदारों ने इस तरह किया हुआ था कि किसानों के लिए जैसी जमीन खेती के लिए अपरिहार्य थी, वैसी जमीन यानी गोचर भूमि, जलाशय आदि, जिनके बिना खेतीबाड़ी नहीं हो सकती थी, वह जागीरदार-जमींदारों के हाथों में ही छोड़ दी गई थी छांट कर मनपसंद जमीन इस्तेमाल करने के लिए। भले ही धनी हो या गरीब, सभी किसानों को पहले की तरह ही जागीरदार-जमींदारों के खेतों में बेगार करनी पड़ती थी। फिर उस जमीन पर खेती करने के लिए जिसके पास हल-बैल नहीं, उन किसानों को जागीरदार-जमींदारों से वह सब लेने के लिए जागीरदार-जमींदारों के खेतों के एक खास हिस्से में बिना मेहनताना लिये काम करने को मजबूर होना पड़ता था। अनेकों को अपने बैलों से खेती करने देना, फसल उठाना, पशुधन आदि के लिए पुआल काटने देना, फसल की बुआई-निराई-कटाई आदि करना, जमींदारों के लिए हवेली में अपने घर का बुना हुआ कपड़ा, सब्जी, अंडे, मुर्गी आदि पहुँचा देना—यह सब एकदम जमींदारी प्रथा के जमाने की दासता की तरह ही करना पड़ता था।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ मध्यप्रदेश में एआईडीवाईओ ने मनाया राज्यव्यापी विरोध दिवस

बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ एआईडीवाईओ, मध्यप्रदेश राज्य कमिटी के आह्वान पर 26 फरवरी को राज्यव्यापी विरोध दिवस मनाया गया। इस दिन जगह-जगह प्रदर्शन कर माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली को ज्ञापन भेजा गया।

ज्ञापन में कहा गया कि हमारे देश के युवाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या गंभीर रूप से निरंतर बढ़ती जा रही है। देश में हर साल करीब 1.35 करोड़ युवा बेरोजगारों की भीड़ में शामिल हो रहे हैं। दुनिया में सबसे युवा देश होने का दावा तो किया जा रहा है, परंतु देश का युवा वर्ग बेरोजगारी की बीमारी से ग्रसित होकर आत्महत्या तक कर रहा है, स्थिति बेहद विस्फोटक बनती जा रही है। पिछले दशक से ही रोजगार सृजन में भारी गिरावट और छंटनी हो रही है। एनडीए के सत्ता में आने के बाद यह काफी बढ़ गई है। आईटी सेक्टर में छंटनी हो रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एक समय सबसे ज्यादा नौकरी देते थे, उन्हें भी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति के चलते बेचा जा रहा है। शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्र कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहे हैं, देश में नौकरियों के लाखों पद खाली पड़े हैं। जो भी थोड़ी-सी नौकरियां हैं, वे भी ठेके (कॉन्ट्रैक्ट) पर हैं। इससे नौजवानों में भारी रोष व्याप्त है।

संगठन द्वारा मांग की गई कि पूरे देश में सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े लाखों पदों को तुरंत भरा जाए। सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार ना मिलने तक जीने लायक बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। काम के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए। ठेकेदारी प्रथा(कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम) समाप्त किया जाए और सभी पदों पर स्थाई भर्ती की जाए।

मेहनताना बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी मिड-डे-मील कार्यकर्त्रियां

भिवानी (हरियाणा) : शहर में विरोध प्रदर्शन करते हुए मिड-डे मील कार्यकर्त्रियां

भिवानी (हरियाणा) : केंद्रीय बजट में मिड-डे मील के खाते में आवंटन और मिड-डे मील कर्मियों का मेहनताना नहीं बढ़ाये जाने पर रोष व्यक्त करते हुए 20 फरवरी को यहां मिड-डे-मील कार्यकर्ता यूनियन सम्बन्धित एआईयूटीयूसी के बैनर तले मिड-डे मील कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन डी.सी., भिवानी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा।

इससे पहले सैकड़ों की संख्या में मिड-डे मील कार्यकर्ता चेतराम प्रजापति धर्मशाला में इकट्ठा हुई और शहर में रोष प्रदर्शन किया। इस रोष प्रदर्शन की अगुवाई मिड-डे-मील कार्यकर्ता यूनियन की जिला कमेटी और एआईयूटीयूसी के जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड राजकुमार बासिया ने की।

नागरिक सम्मेलन संपन्न

इंदौर (म.प्र.) : नागरिक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड सुनील गोपाल

इंदौर (म.प्र.) : प्रदेश में बढ़ रही भयंकर बेरोजगारी, अश्लीलता, अपसंस्कृति, नशाखोरी, शिक्षा के निजीकरण व व्यापारीकरण के खिलाफ गत दिनों ऑल इन्डिया डीवाईओ और ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन (देवास, इंदौर) के तत्वावधान में एक नागरिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें इंदौर और देवास के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इसकी अध्यक्षता कॉ. अर्शी खान ने की। उन्होंने महिलाओं और बच्चों पर बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ जन आन्दोलन तेज करने की अपील की। एआईयूटीयूसी के देवास जिला अध्यक्ष कॉ. हिमांशु श्रीवास्तव ने भी अपना वक्तव्य रखा।

मुख्य वक्ता एसयूसीआई(सी) के राज्य कमेटी सदस्य एवं एआईयूटीयूसी के प्रदेश सचिव कॉ. सुनील गोपाल ने कहा सरकार युवाओं तक रोजगार नहीं, बल्कि नशा पहुंचा रही है ताकि देश-प्रदेश की नौजवान पीढ़ी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष न कर पाए।

नागरिक सम्मेलन मे सर्व सम्मति से देश में बेरोजगारी को बढ़ावा देने की तमाम सरकारी नीतियों को वापिस लेकर सभी को स्थाई रोजगार देने, सरकारी स्कूलों को बंद करने की नीति वापिस लेने, प्रदेश मे पूर्ण शराबबंदी लागू करने, रेहड़ी-पटरी वालों का रोजगार खत्म करने की नीति वापिस लेने की मांग के समर्थन मे एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद नामदेव ने किया कार्यक्रम के दौरान जन गीत की प्रस्तुति भी की गई एवं 12 मार्च भोपाल में होने वाले विरोध प्रदर्शन में आम जनता से शामिल होने की अपील की गई।

मजदूरों की साइकिल रैली व सभा आयोजित

देवास (म.प्र.) : सयाजी गेट पर मजदूरों की सभा हुई। विकास नगर चौराहा से मजदूरों की साइकिल रैली प्रारंभ हुई जहां जिला समिति सदस्य सुनील सिंह डोडिया ने सम्बोधित किया। कैला देवी चौराहा पर रैली को एआईयूटीयूसी के जिलाध्यक्ष हिमांशु श्रीवास्तव ने सम्बोधित किया। मुख्य वक्ता एआईयूटीयूसी के राज्य सचिव कॉ. सुनील गोपाल ने मजदूरों के तमाम मुद्दों पर बात रखते हुए कहा कि नोटबंदी, बैंकों में आ रहे रोज नये नियमों व अन्य सरकारी नीतियों और नए श्रम कानूनों जिनमें न्यूनतम वेतन घंटों के हिसाब से दिया जाएगा आदि ठेकेदारी प्रथा जैसे ही विनाशकारी साबित हुए हैं। यदि इन्हें समय पर नहीं रोका गया, तो मजदूर परिवार भूखे मरेंगे। सरकारों को इनकी लेशमात्र भी परवाह नही है। कॉमरेड सुनील गोपाल ने देवास के समस्त औद्योगिक व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के जायज आंदोलनों को समर्थन देने के साथ टाटा इंटरनेशनल से लगभग 1000 महिला कर्मचारियों को अवैध रूप से निकालने के खिलाफ चल रहे आंदोलन को और तेज करने में मदद करने का आश्वासन दिया।

साइकिल रैली में भंडारी फाइल्स आजाद मजदूर यूनियन, मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण वर्कर्स यूनियन, म.प्र. आशा उषा सहयोगिनी वर्कर्स यूनियन, म.प्र. औद्योगिक ठेका श्रमिक यूनियन की देवास इकाइयों के साथ कई अन्य कंपनियों के मजदूर बड़ी संख्या में शामिल हुए।

नये श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी बदलावों को खारिज कराने, एफडीआई नीति को वापस लेने, न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये कराने, ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरह बंद कराने, मजदूर डायरी बनाने की प्रक्रिया को सरल कर उस पर मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाने, आशाओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, अतिथि शिक्षकों, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों आदि परियोजना कर्मियों व संविदा कर्मियों को स्थाई शासकीय कर्मचारी का दर्जा देकर वेतन व भत्ते समय पर दिये जाने की मांग उठाई।

देवास (म.प्र.) : 20 फरवरी को मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ एआईयूटीयूसी की साइकिल रैली व सभा

किसानों के जीवन ...

(पृष्ठ 2 का शेष)

धनी किसान कभी-कभी जागीरदार-जमींदारों को पैसा देकर बेगार करने से छुटकारा पा जाने पर भी जागीरदार-जमींदार धनी किसानों से अच्छे-खासे रुपये ऐंठ लेते थे। इसलिए अमीर किसान भी जमींदारों और रईसों के खिलाफ थे। पोलत्वा, खारकोव और अन्य गुरबेनियाई इलाकों के जमींदार किसानों की उगाई गई फसलों पर कब्जा कर लेते थे। जमींदारों के इन सब अत्याचारों के खिलाफ 1902 में किसानों का विद्रोह हुआ था। उनकी हवेलियों में तोड़-फोड़ की गई थी। उनके भण्डारों में भरे पड़े अनाज को भूखे लोगों में बांट दिया गया था। उन्होंने जमीन दोबारा फिर बांटने की भी मांग बुलंद की थी। लेकिन जार सरकार ने किसानों को दंगाई और लुटेरे घोषित करके फौज भेजकर किसानों को परास्त कर दिया था। कई लोगों को गोलियों से भून डाला था, बेरहमी से किसानों को कोड़े मारे गए थे। जार के सैनिकों ने लड़कियों-बहुओं से बलात्कार किये थे। इस सब के बाद भी, जार की अदलत में किसानों पर मुकदमा चलाया गया था। जमींदारों को हरजाने के तौर पर 8 लाख रूबल का भुगतान करने के लिए किसानों को मजबूर किया गया था। जुल्म की काली कोठरी में चलाये गए इन मुकदमों में प्रतिवादियों के पक्ष में वकीलों को भी बात करने की अनुमति नहीं थी।

लेनिन का नेतृत्व

मार्क्स-एंगेल्स के सुयोग्य उत्तराधिकारी कॉमरेड लेनिन ने रूस की सरजमीं पर नाकाम हुए किसान विद्रोह के बारे में कहा था, ''किसान विद्रोह दबा दिया गया, इसीलिए कि वह अनभिज्ञ और बेसमझ भीड़ का विद्रोह था, ऐसा विद्रोह जिसने किसी राजनीतिक मांग को पेश नहीं किया अर्थात् राजनैतिक व्यवस्था को बदलने के लिए मांग नहीं रखी। किसान विद्रोह इसलिए दबा दिया गया कि गांव के श्रमिकों ने अब तक भी शहर के श्रमिकों के साथ एकता कायम नहीं की थी। पहली लड़ाई में किसानों की हार के ये तीन कारण हैं : सफल होने के लिए, विद्रोह के सामने एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। उसके लिए पहले से ही तैयारियां होनी चाहिएं थी, इसे पूरे रूस में फैलाना चाहिए था और इसके लिए शहरी मजदूरों के साथ गठबंधन करना चाहिए था।''[4]

रूस की इस विशेष स्थिति में, लेनिन ने भूदासता से सभी किसानों को पूरी तरह से मुक्ति दिलाने के लिए धनी किसानों को भी साथ लेकर लड़ने की बात कही थी। फिर, धनी किसानों के बारे में सजग रहने की भी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा था, ''किसान इन बन्धनों को जितनी जल्दी खत्म कर सकेंगे, उतनी ही अधिक वे असली आजादी पा सकेंगे, उतनी ही जल्दी गांव के गरीब आपस में एक होंगे; और उतनी ही जल्दी अमीर किसान बाकी जायदाद वालों से, पूंजीपति वर्ग से मिल जायेंगे।''[4]

भूदास प्रथा के खात्मे के बाद 1877-78 के हिसाब के मुताबिक रूस में जमीन के मालिकाने में कितनी भारी गैर बराबरी थी लेनिन किसानों की आंखें खोलने के लिए यह बताते हैं कि यूरोप वाले हिस्से के रूस में किसानों की अपनी भूमि और निजी कब्जे की भूमि को भी ले लेने पर सारी जमीन चौबीस करोड़ देसियातिन (शाही भूमि को छोड़ कर, उसके बारे में हम बाद में कहेंगे) कूती गई है। (1देसियातिन=23 एकड़) इसमें से 13 करोड़ 10 लाख देसियातिन किसानों के कब्जे में है। किसानों के परिवार एक से अधिक हैं। दस करोड़ नब्बे लाख देसियातिन भूमि जमींदारों के पास है, जिनके परिवार 5 लाख से कम हैं। इस तरह हम औसत निकालें तो हर किसान परिवार के पास 13 देसियातिन पड़ेगी, और जमींदारों के हर एक परिवार के पास दो सौ देसियातिन ! लेकिन जैसा कि हम अभी देखेंगे, भूमि के वितरण में और भी ज्यादा असमानता पायी जाती है।

खेती के लिए रूस में बैल नहीं, घोड़े इस्तेमाल किये जाते थे। घोड़ों के मालिकाने के जरिये लेनिन ने अत्यन्त सहज भाव से दिखाया था कि किसान परिवारों की कितनी दुर्दशा थी! तत्कालीन रूस में कुल किसान परिवारों की संख्या लगभग 1 करोड़ आंकी गई थी। इनमें से 30 लाख परिवारों के पास खेतीबाड़ी करने के लिए एक भी घोड़ा नहीं था। 35 लाख परिवारों के पास सिर्फ एक घोड़ा था। अर्थात्, ये 65 प्रतिशत किसान परिवार या तो पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे या बहुत गरीब थे। ये ग्रामीण सर्वहारा वर्ग थे। 20 लाख परिवारों के पास प्रति परिवार दो घोड़े थे, वे मध्यम किसान थे और शेष 15 लाख अमीर किसानों के पास 75 लाख घोड़े थे, यानी प्रति परिवार के पास पांच घोड़े थे। लेनिन ने सरल शब्दों में वर्णन करके दिखा दिया था कि समूचे रूस के कुल डेढ़ करोड़ घोड़ों की आधी संख्या कुल आबादी के छठे हिस्से यानी 15 प्रतिशत सबसे अमीर किसानों के कब्जे में थी। इसका अर्थ यह है कि किसानों की पूरी आबादी द्वारा कुल जितनी जमीन पर खेती की जाती थी, उसकी आधी जमीन इन मुट्ठी भर अमीर किसानों के पास रही थी। ऐसे अमीर किसानों को अपने परिवारों की जरूरत के लिए जितना अनाज चाहिए, वे उससे कहीं ज्यादा पैदा करते थे। वे सिर्फ अपने ही खाने के लिए अनाज पैदा नहीं करते थे, बल्कि उसे बेचने के लिए, रुपया कमाने के लिए पैदा करते थे। उस रुपये को वे बैंकों में जमा करते थे। इस रुपये से वे चिरस्थाई स्वामीत्व वाली जमीन को अभाव-ग्रस्त किसानों से खरीदते थे। इसके अलावा वे तरह-तरह के हथकण्डों से गरीब किसानों की जमीने हड़प लेते थे। हर अकाल में, हर फसल के खराबे में हजारों-हजार गरीबों की जोत का सर्वनाश हो जाता था। इसलिए साल दर साल ज्यादा से ज्यादा किसान परिवार तबाह हो जाते थे। वे दैनिक मजदूर में तब्दील हो जाते थे या शहर चले जाते थे जहां वे फैक्ट्रियों में उजरती मजदूर बन जाते थे।''[4]

उनकी दुर्दशा का उल्लेख करते हुए लेनिन ने कहा था, "... भरपेट खाना उनके लिए कभी जुट नहीं पाता है, वे हमेशा भूखों मरते रहते हैं। उनके खेत बिन बोये पड़े रह जाते हैं। किसानों के पशुओं की हालत भी सोचनीय है। ठीक तरह से खेती की देखभाल करने की क्षमता उनकी नहीं रही है। कभी किसी साल वे लगान चुका पाते हैं, कभी नहीं। ... वे एक वर्ष में बीस रूबल से ज्यादा हरगिज खर्च नहीं कर पाते हैं। लगान देना, खेतों के लिए पशु खरीदना, काठ के हल और अन्य औजारों की मरम्मत कराना इत्यादि इन सभी के लिए खर्च करने को उनके पास हैं सिर्फ बीस रूबल! क्या इसे एक किसान कहा जा सकता है? यह शाश्वत दोहन है।''[4]

इन उजरती खेतमजदूरों, गरीब और निम्न मध्यम किसानों के लिए जब प्रचलित व्यवस्था में ध्वंस की ओर जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था, तब मार्क्सवाद की शिक्षाओं के आधार पर लेनिन ने दिखाया था कि शहर के मजदूरों के साथ एकजुट होकर इस व्यवस्था को ढहाकर नयी समाजवादी व्यवस्था कायम करने में ही उनकी मुक्ति निहित है। उन्होंने दिखाया था कि मध्यम किसान भी धीरे-धीरे विनाश के रास्ते में अग्रसर हैं। जिस साल फसल अच्छी हुई, उस साल तो खेतीबाड़ी से उनके परिवार का खर्चा पूरा हो जाता है। लेकिन अभाव उनका पीछा नहीं छोड़ता है। फसल बिक्री से उन्हें जो पैसा मिल पाता है वह निहायत कम या मामूली होता है। मजदूर बन जाने को भी वे मजबूर होते हैं। जमींदार की बही पर भी उन्हें अंगूठे लगाने पड़ते हैं और वह कर्ज में फंसता जाता है। एक बार वह जो कर्ज जाल में फंस गया, तो उससे निस्तार पाना मध्यम किसानों के अक्सर वश की बात नहीं रहती। इसीलिए एक बार कर्ज जाल में फंस जाने का मायने ही है फांसी के फन्दे में गर्दन फंसा देना। मध्यम किसान का जीवन है – न घर का, न घाट का! वे न तो जमीन के बहुत बड़े मालिक हो सकते, न ही मजदूर। इसलिए लेनिन ने दिखाया था कि उन्हें मध्यम किसानों को समझा-बुझाकर उनको धनी किसानों के खिलाफ संघर्ष में शामिल कराना होगा। लेनिन ने मध्यम किसानों से कहा था, "...लेकिन जब एक गरीब या मध्यम किसान से कहा जाता है कि ''उन्नत'' खेती और ज्यादा ''सस्ते'' हल तुम्हारा गरीबी से पिण्ड छूटाने और तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेंगे, और यह बिना अमीरों को हाथ लगाये किया जा सकता है, तो यह उनको सरासर धोखा देना है। ये सारे सुधार, कम कीमतें और सहयोग समितियाँ (माल को बेचने-खरीदने की समितियाँ) अमीरों को बहुत ही लाभ पहुंचायेंगी। इससे अमीर और अधिक शक्तिशाली होंगे, गरीब और मध्यम किसानों को और ज्यादा पीसेंगे। जब तक अमीर अमीर रहेगा; जब तक भूमि, पशुओं, हथियारों और पैसों का ज्यादातर भाग उनके पास है; जब तक ये सब बातें मौजूद हैं, तब तक न तो गरीब और न ही मध्यम किसान कभी मोहताजी यानी अभावग्रस्तता से बच सकते हैं। ...सभी मध्यम किसानों को अमीर बनने के लिए अमीरों को निकाल बाहर करना होगा और उन्हें निकाल बाहर करने का केवल एक ही रास्ता है–गाँव के गरीबों और शहर के मजदूरों के बीच एकता कायम करना।"[4]

रूस में नरोदनिक और यहाँ तक कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी भी दिखावे के तौर पर जमींदारों और धनी किसानों के खिलाफ थी। वे जमीनों पर गरीब किसानों के अधिकार की बात करते थे और गरीबों के हित में आन्दोलन की भी बात किया करते थे। नरोदनिक जो छोटी जोतों के समर्थक कहकर अपने को जाहिर किया करते थे उनकी भी पोल खोलते हुए लेनिन ने कहा था, "सरमायेदारों के समर्थक जो अपने को छोटे गरीब किसानों का पक्षधर और मित्र बताते हैं वे सरमायेदारों की ऐसी सभी कोशिशों को सही ठहराते हैं और हर तरह से उनकी मदद करते हैं। बहुत सारे सीधे-साधे आदमी भेड़ की खाल में छिपे इन भेड़ियों को नहीं पहचान पाते हैं और विश्वास करते हैं कि जब वे लोग सरमायदारों की इस धोखाधड़ी को दोहराते जाते हैं मानो वे गरीब और मध्यम किसानों का ही उपकार कर रहे हों। ... उन्हें यह दिखलाने की कोशिश करते हैं कि छोटे किसान फल-फूल रहे हैं और इसीलिए वे जमीन से इतना चिपटे रहते हैं। ...ये चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले कहते हैं कि छोटे किसान को बहुत पैसे की जरूरत नहीं होती। छोटे और मध्यम किसान बड़े किसानों से ज्यादा किफायती और ज्यादा मेहनती होते हैं। वे जानते हैं कि कैसे सीधी-साधी गुजर-बसर करनी चाहिए। अपने बैलों के लिए खल खरीदने की बजाय वे उन्हें सूखा पुआल/पराली खिलाकर संतोष कर लेते हैं। महंगे दामों वाली मशीन-औजार खरीदने की बजाय वे सुबह सवेरे उठते हैं, और देर तक काम करते हैं और इस तरह वे मशीन जितना ही काम कर लेते हैं। किसी दूसरे आदमी को मरम्मत के लिए पैसा देने की बजाय गरीब और छोटे किसान खुद एक इतवार को कुल्हाड़ा उठाते हैं और थोड़ा बढ़ई का काम कर लेते हैं। उससे बड़े किसानों से कहीं ज्यादा सस्ते में वे अपनी चीजों की मरम्मत कर लेते हैं ...कितना लाभदायक और कितना सस्ता है यह सब! मध्यम और छोटे किसानों के लिए कितनी तारीफ की बात है कि वे इतने परिश्रमी हैं इतना सीधा-साधा जीवन बिताते हैं, बेकार की बातों में समय नष्ट नहीं करते हैं, समाजवाद के बारे में सोचकर दिमाग खराब नहीं करते हैं सिर्फ अपने खेतों का ध्यान रखते हैं ...कितने मीठे गीत हैं! ...असल में ये मीठी-मीठी बातें किसानों को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं हैं। ये चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोग जिसे सस्ती और लाभकारी खेती कहते हैं वह असल में है अभावग्रस्तता, भयंकर गरीबी और बदहाली जो छोटे और मध्यम किसानों को सवेरे से शाम तक काम करने, रोटी के एक टुकड़े के लिए दिन-रात खटने, एक-एक पैसे की खातिर मक्खी चूस बनने के लिए मजबूर करती है। ...छोटी खेती बहुत ही "सस्ती" और "लाभदायक" है!! उसी धोती को तीन साल तक पहनना, गर्मियों में नंगे पैर घुमना, अपने लकड़ी के हल को रस्सी बांधकर मरम्मत करना और अपनी गाय को धान का सड़ा पुआल खिलाना! एक धनी किसान को ऐसे "सस्ते" और "लाभदायक" खेत पर रख दीजिए और फिर देखिए कि वह इन सारी मीठी-मीठी बातों को तुरन्त भूल जाएगा।"[4]

इस तरह लेनिन ने गांव के लोगों में वर्ग-विन्यास के हिसाब से कौन क्रान्ति के पक्ष में आयेगा और कौन क्रान्ति-विरोधी ताकत है यह व्याख्या करके दिखाया।

फरवरी 1917 में हुई क्रान्ति के जरिए रूस में पूंजीपति वर्ग सत्ता में आया था। अब तक बाल्शेविक भूमि सम्बन्धी जिन मांगों का प्रचार करते रहे थे, उन्होंने उस साल मई महीने में हुए किसान प्रतिनिधियों के अखिल रूसी सम्मेलन में वे जनवादी मांगें बुर्जुआ सरकार को पूरी करने की बात याद दिलायी थी। उनमें से मुख्यत: ये थी:

(1) तमाम जमींदारी भू-संपत्ति, तमाम निजी मालिकाने की भू-संपत्ति, राज परिवार की संपत्ति बिना मुआवजा दिये जनता को हस्तांतरित की जाए। (2) किसान प्रतिनिधियों की सोवियतों के माध्यम से संगठित

(शेष पृष्ठ 6 पर)

हरियाणा में आंगनवाड़ी कर्मी संघर्ष की राह पर

रोहतक : शहर में प्रदर्शन करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं

रोहतक (हरियाणा) : अपनी मांगों को लेकर हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं आन्दोलन की राह पर हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन संबंधित एआईयूटीयूसी के बैनर तले 19 फरवरी से उनका क्रमिक धरना-प्रदर्शन जारी है। 21 फरवरी को जिला उपायुक्त कार्यालय, रोहतक पर हुए धरना-प्रदर्शन की अध्यक्षता यूनियन की प्रधान रोशनी चौधरी ने की। सिंचाई विभाग के पूर्व एसडीओ सुरेश अहलावत, एचएसईबी वर्कर्स यूनियन के नेता रामनिवास, भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन के जिला सचिव कॉ. जगदीश गद्दीखेड़ी ने धरने पर आकर संघर्षरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को अपने समर्थन की घोषणा की। एआईयूटीयूसी के राज्य प्रधान कॉ. सत्यवान ने कहा कि यूनियन की सारी मांगें शत प्रतिशत जायज हैं। उन्होंने सरकार से यूनियन की नेत्रियों से तुरन्त बातचीत कर मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। यूनियन की महासचिव पुष्पा दलाल ने जिला की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं से उपायुक्त कार्यालय पर चल रहे धरने पर रोजाना बढ़चढ़ कर शामिल होने की अपील की। आंगनवाड़ी कर्मियों ने दोहराया कि जब तक सरकार उनकी मांगें मान नहीं लेती, तब तक वे संघर्ष के रास्ते से कदापि नहीं हटेंगी।

यूनियन की राज्य महासचिव पुष्पा दलाल ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं से काम पूरा लिया जाता है लेकिन न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है। वर्ष 2011 के बाद केन्द्र सरकार ने एक पैसा भी नहीं बढ़ाया है। प्रदेश सरकार भी अपना हिस्सा पूरा नहीं दे रही। हरियाणा सरकार को अपने हिस्से के 9,000 रुपये व 4,500 रुपये महीना कम से कम देना चाहिए। उन्होंने रोषपूर्वक कहा कि 17 जनवरी को देशव्यापी सफल हड़ताल करने पर भी सरकार गूंगी व बहरी बनी हुई है। इस अनदेखी को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। सरकार हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर कर रही है। 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन और 5,000 रुपये महीना पेंशन से नीचे हमें कुछ मंजूर नही. पक्का सरकारी कर्मचारी बनाये जाये। निजीकरण पर रोक लगाई जाये। गैर-आंगनवाड़ी कार्य न कराये जायें, विभागीय पदोन्नति, गर्मी-सर्दियों की स्कूलों की तरह छुट्टी व सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जायें। हमें दयनीय हालात से छुटकारा चाहिए। जो मामूली मेहनताना दिया जाता है, वह भी कई-कई महीनें तक नहीं मिलता। आंगनवाड़ी भवन नहीं हैं। एक-एक साल तक आंगनवाड़ी केन्द्रों का किराया नहीं दिया जाता। हमें विभागीय दमन-उत्पीड़न का बेवजह शिकार बनाया जाता है। बंधुआ की तरह काम लिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन इन सब के खिलाफ आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार है.

24 फरवरी को रोहतक शहर में जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदेश के वितमंत्री कप्तान अभिमन्यु के आवास का घेराव किया। उनके नाम अपना मांग पत्र भी दिया। आज ही यूनियन ने सोनीपत में आंगनवाड़ी विभाग की मंत्री कविता जैन, नारनौल में विधानसभा की अध्यक्ष सन्तोष यादव के आवासों के घेराव के अलावा विभिन्न स्थानों पर भाजपा विधायकों का घेराव कर अपनी मांगें मनवाने के लिए दबाव बनाया। लघुसचिवालय पर पहले से भी ज्यादा संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकायें धरने पर बैठी। यूनियन ने घोषणा की कि यदि सरकार से उन्हें न्याय नहीं मिला तो पूरे प्रदेश में काली होली मनाई जायेगी।

प्रदर्शनकरियों को सम्बोधित करते हुए एआईयूटीयूसी के राज्य प्रधान कॉमरेड सत्यवान ने कहा कि काफी अरसा बीत जाने के बाद भी भाजपा सरकार ने 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सर्वसम्मत सिफारिशों को लागू नहीं किया है। इनमें पक्के वर्कर का दर्जा देना, न्यूनतम वेतन व पैंशन देना शामिल था। प्रदेश के श्रममंत्री होने के नाते कप्तान अभिमन्यु उक्त सम्मेलन में हाजिर थे। वे इससे कैसे इन्कार कर सकते हैं?

इस अवसर पर यूनियन की प्रदेश महासचिव पुष्पा दलाल ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकायें किसी भी सरकारी कर्मचारी से कम काम नहीं करती। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान काम के लिए समान वेतन का सिद्वान्त तय करने पर भी हमें न तो सरकारी कर्मचारी माना गया है, न वेतन है, न पैन्शन है, यहाँ तक कि सम्मान भी नहीं दिया जाता। सरकारी रवैये के कारण हमसे बन्धुआ जैसा बर्ताव किया जाता है। क्योंकि हम गरीब परिवारों की बहू-बेटियां है। हमारी जैसी मेहनत व लगन से काम करने वाली कामकाजी महिलाओं का इस सरकार में कोई साझा नहीं है। अपने अन्तिम बजट में भी केन्द्र सरकार ने 36000 करोड़ की वांछित धनराशि नहीं दी। वर्ष 2011 से हम मानदेय बढ़ाने की बाट देख रही हैं। निराशा के अलावा हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा है। गैर आंगनवाड़ी कार्यों से छुटकारा दिलाने का वादा भी सरकार ने नहीं निभाया।

26 फरवरी को मन्त्री विधायक मनीष ग्रोवर को ज्ञापन दिया गया।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन हरियाणा का धरना रोहतक लघु सचिवालय पर 27 फरवरी को भी सफल रहा। जिला रोहतक के सभी ब्लॉकों से भारी संख्या में आंगनवाड़ी कर्मी उत्सुकता के साथ आज धरने में शामिल हुई। यूनियन के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को कल देर से चंडीगढ़ वार्ता के लिए निमंत्रण प्राप्त हुआ था। आंगनवाड़ी विभाग की निदेशक से पहले दौर की उनकी वार्ता संपन्न होने का समाचार मिला है। वार्ता जारी है। अंतिम बात मुख्यमंत्री से होगी।

धरने पर कई नेत्रियों ने संघर्ष के गीत गाए और अपनी व्यथा-कथा सुनाई। सभी ने एक सुर में कहा कि सरकार आंगनवाड़ी कर्मियों की मांगें पूरी करे। इस संकल्प के साथ कल बड़ी संख्या में धरने पर शामिल होने के निर्णय के साथ वे घरों को लौटी कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलने तक वे चुप बैठने वाली नहीं है।

जेबीटी शिक्षकों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की एआईडीएसओ ने की कड़ी निंदा

रोहतक (हरियाणा) : करनाल में पदोन्नति की मांग कर रहे प्रदेशभर के जेबीटी शिक्षकों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) के प्रदेश सचिव कॉ. हरीश कुमार सैनी ने कड़ी निंदा की है उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में नियुक्त जेबीटी पदोन्नति में रेगुलर चयनित हुए लो मेरिट जेबीटी को एडहॉक के बजाय नियमित नियुक्ति देने की मांग को लेकर करनाल ओएसडी कैंप हाउस पर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका और बाद में उन पर लाठीचार्ज किया जिनमें काफी संख्या में अध्यापक घायल हुए और उन्हें गंभीर चोटें आई। छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ शिक्षकों के आंदोलन का पुलिसिया दमन खट्टर सरकार का फासीवादी कदम है। संगठन सरकार से मांग करता है कि खट्टर सरकार जेबीटी शिक्षकों की मांग तत्काल माने। दोषी पुलिस अफसरों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाई की जाए।

हरियाणा के शिक्षण संस्थानो में गायत्री मंत्र का जाप अनिवार्य करने की घोषणा की निंदा

हरियाणा सरकार के शिक्षामंत्री रामविलास शर्मा के द्वारा प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में गायत्री मंत्र के जाप को अनिवार्य करने की घोषणा की निंदा करते हुए 27 फरवरी को जारी एक बयान में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश सचिव कॉमरेड हरीश कुमार सैनी ने कहा की यह आदेश धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर एक फासीवादी हमला है। कौन किस धर्म को मानेगा यह उस व्यक्तिविशेष का निजी मामला होता है। ये संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है। रामविलास शर्मा का यह आदेश संविधान व समाज के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का घोर उल्लंघन है। एक तरफ सरकार गौमाता, गीता महोत्सव, गायत्री मंत्र को लेकर व्यस्त है, तो दूसरी तरफ शिक्षा बजट में कटौती हो रही है, फीस वृद्धि हो रही है, महंगाई-बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार का यह प्रयास जनता का ध्यान मुख्य विषय से हटाने की एक कोशिश है। आल इंडिया डीएसओ ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की पूर्व संध्या पर धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक व जनवादी शिक्षा की मांग की। छात्र संगठन ने सरकार के इस गैरवैज्ञानिक व असंवैधानिक निर्णय वापस लेने की भी मांग की।

शहीद चन्द्रशेखर आजाद को किया गया याद

गुरुग्राम (हरियाणा) : 27 फरवरी शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर ऑल इंडिया डीवाईओ ने प्रभात फेरी निकाली। काली मंदिर लक्ष्मण विहार से शुरू करके अशोक विहार सेक्टर 5 रोड से होते हुए लक्ष्मण विहार में इसका समापन किया गया। प्रभात फेरी को जिला सचिव कॉ. राजेश कुमार ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आजादी आन्दोलन में गैर समझौतावादी धारा के क्रांतिकारियों को आज पूरा सम्मान नहीं दिया जा रहा है। संगठन के जिला अध्यक्ष कॉ. बलवान सिंह ने कहा कि शोषणहीन समाज बनाने का क्रांतिकारियों का सपना अधूरा है। शासक वर्ग बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नशाखोरी आदि मूल समस्याओं से ध्यान बांटने के लिए धर्म-जाति-क्षेत्र की बात उठा रहा है। सभी बेरोजगारों को रोजगार देने, खाली पड़े पदों को भरने, जब तक रोजगार नहीं दिया जाता, तब तक सम्मानजनक बेरोजगारी भत्ता देने, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने के लिए आन्दोलन तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि क्रान्तिकारी शहीदों को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

प्रभात फेरी में साथी रामकुमार, सरवन कुमार, वजीर सिंह, कमलकांत, ओम प्रकाश पासवान आदि कई नौजवानों ने हिस्सा लिया।

किसानों के जीवन ...

(पृष्ठ 4 का शेष)

उपायों से स्थानीय इलाके की जमीन का उद्धार करके विद्यमान सामंती आर्थिक शोषण से किसान जन समुदाय की रक्षा की जाये। (3) समग्र तौर पर जमीन पर व्यक्तिगत मालिकाने की व्यवस्था खत्म करके देश की तमाम जमीन को राष्ट्रीय सम्पत्ति में तब्दील किया जाये। (4) भूमि नियंत्रण व्यवस्था स्थानीय जनवादी संस्थानों को सौंपी जाये और अल्पसंख्यक भू-स्वामियों या जमींदारों के साथ किये गये किसी समझौता के आधार पर नहीं, बल्कि बहुसंख्यक स्थानीय किसानों के द्वारा लिए गये फैसलों के आधार पर नियंत्रण व्यवस्था को कारगर बनाया जाए। (5) जीवन निर्वाह के लिए धनी किसानों की जमीन पर काम करने को मजबूर होने वाले खेत मजदूरों और गरीब किसानों की धनी किसानों के शिकंजे से रक्षा करने की व्यवस्था की जाये। इन आम किसानों को सोवियतों के तहत जोड़े रखकर भी अलग ग्रुप में रखने की व्यवस्था की जाये। (6) कृषि उत्पादन मशीनरी और खेती में सहायक पशु जिनके बिना कृषि उत्पादन असम्भव है, उन्हें आम लोगों के इस्तेमाल के लिए भू-स्वामियों से हथिया लिया जाये। (7) सभी बड़ी जमींदारियों को आदर्श खेतों में रूपांतरित करके इन पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर और स्थानीय खेत मजदूरों के प्रतिनिधियों की सोवियतों के निर्देशों के मुताबिक सर्वोत्कृष्ट इंतजामों की मदद से खेती बाड़ी की जाये।

इस प्रस्ताव के खिलाफ भू-स्वामियों की तरफ से सरकार ने कहा कि बिना मुआवजा दिये जमींदारी की भू-सम्पत्ति किसानों को हस्तांतरित करना अवैध काम है। वे कृषि संबंधी जटिलताओं को स्थानीय स्तर पर किसानों और भू-स्वामियों को लेकर ग्रामीण आपूर्ति समितियों के तहत निपटारा कमेटी कायम करके सुलझाने की बात करते हैं। बुर्जुआ सरकार के दृष्टिकोण के उल्ट लेनिन ने कहा था कि निरपवाद रूप से जमींदारों को भू-सम्पत्तियों के मूल्य के रूप में कुछ भी मुआवजा न देकर भू-सम्पत्तियों का अधिग्रहण करके ये स्थानीय किसानों को हस्तांतरित की जायें। हालांकि खेती के लिए किसानों के बीच बांटने पर भी जमीन का मालिकाना राज्य के हाथों में ही रहे।

समाजवादी कृषि और भूमि व्यवस्था निर्मित करने के संघर्ष का नया अध्याय

लेनिन के नेतृत्व में 7 नवंबर को क्रांति की शुरुआत हुई थी। शीत महल और दूसरे-दूसरे सरकारी केंद्रों पर कब्जा करने के बाद ही 8 नवंबर की रात को ऐतिहासिक हिदायतनामे का ऐलान किया गया। ऐलान किया गया, "इसी पल से बिना मुआवजा दिये जमींदारों की भू-सम्पत्ति जब्त की जाती है।" इस हिदायतनामे के द्वारा 40 करोड़ एकड़ से भी ज्यादा जमीन मिल गयी थी और किसानों ने जमींदारों को उच्च रेट का लगान देने से छुटकारा पा लिया था। लेकिन हिदायतनामे के मुताबिक जमीन का कब्जा घोषित होने के बाद भी असल में तब तक भी वह जमींदारों और कुलकों के कब्जे में ही थी। नवजात समाजवादी रूस के ग्रामीण इलाकों में जहाँ किसान संगठित किये गये थे, वहाँ गरीब किसानों और कुलकों (धनी किसानों) के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा था।

जून 1918 में, एक हिदायतनामे पर हर जगह गरीब किसानों की कमेटियाँ गठित की गयी। ये कमेटियाँ जमींदारों से जब्त की गयी जमीन का उद्धार करके किसानों में बांटने, कृषि औजारों का वितरण करने, कुलकों से ज्यादा खाद्यान्न संग्रह करने और मजदूर केन्द्रों में और लाल फौज के लिए खाद्यान्न आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती थी। इस साल के आखिर में गरीब किसान कमेटियों ने ग्राम सोवियतों के साथ मिल कर कुलकों के खिलाफ संघर्ष तेज कर डाला। दूसरी ओर उसी समय कम से कम 14 विदेशी ताकतों ने रूस की क्रान्ति को ध्वस कर देने के लिए कुलकों के साथ साठगांठ करके प्रतिक्रान्तिकारी कार्यकलापों को तीव्रतर कर डाला। यह जोरदार लड़ाई 4 साल तक चली।

1921 के मध्य में कई इलाकों में जमींदारों और कुलकों से भारी मात्रा में जमीन बरामद की गई। वह जमीन गरीब किसानों में खेती के लिए बांट दी गयी। तब से किसानों से ज्यादा खाद्य संग्रह का हिदायतनामा रद्द कर दिया गया। शहर के लोग और लाल फौज को खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए विकल्प के तौर पर किसानों में बांटी गयी जमीन पर फसली लगान लागू किया गया। हर साल बसन्त ऋतु में बीज बोने से पहले फसली लगान कितना अदा करना होगा यह किसानों को बता दिया जाता था। लगान के तौर पर फसल जमा कर देने के बाद बाकि फसल किसानों के पास पूरी की पूरी छोड़ दी जाती थी। इसके नतीजतन किसानों को स्वतंत्रता से फसल बेचने या इस्तेमाल करने की आजादी मिली। लेनिन ने इस समय के घटनाक्रम का विश्लेषण करके कहा था कि इसके नतीजतन व्यापार-वाणिज्य की आजादी से समाजवादी रूस में शुरू-शुरू में पूँजीवाद का कुछ हद तक पुनरुज्जीवन होगा।

फिर उसके बाद, लेनिन के नेतृत्व में रूस में 'नई आर्थिक नीति' शुरू हुई। इस नयी नीति के अनुसार, किसानों ने अपने हाथों से फसल बेचने के मामले में सहकारी समितियां बनायी। इस समय लेनिन ने दिखाया कि किसानों को समाजवादी निर्माण कार्य में स्वेच्छा से खींच लाना है तो सुसंगठित उत्पादक–सहकारी व्यवस्था में किसानों को शामिल कराना होगा। खेती बाड़ी की जमीन को इकट्ठा करके सहकारी प्रथा से खेतीबाड़ी शुरू हुई। यह सहकारी आन्दोलन बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में सारे रूस में फैला दिया गया। इसके बाद के कदम के तौर पर बड़े पैमाने के सामूहिक खेतों को निर्मित करने की योजना ली गयी। ट्रैक्टर और अन्य कृषि औजार इस बड़े सामूहिक खेतों के अन्यतम अंग होंगे। कृषि के इस मशीनीकरण से श्रम के हल्के होने से और उत्पादन वृद्धि के नतीजतन किसानों की कितनी खुशहाली होगी ये समझाते हुए लेनिन ने कहा था, "अगर हम आगामी दिनों में ईंधन तेल और चालकों सहित एक लाख सबसे बढ़िया दर्जे के ट्रैक्टर सप्लाई कर सके तो मध्यम किसान कहेंगे कि 'मैं साम्यवाद के पक्ष में हूँ'। सामूहिक खेतों को निर्मित करने का लक्ष्य तय कर दिया गया।

लेकिन देखा जाता है कि नई नीति शुरू होने के दो साल बाद भी छोटे-छोटे खेतों को बड़े खेतों में तब्दील करने का लक्ष्य हासिल करना काफी दूर रह गया था। पुरानी पद्धति सें खेती होने के नतीजतन कृषि उत्पादन में प्रगति की दर भी बहुत कम थी। हर किसान के खुद के लिए सारे साल भर के खाने के लिए फसल रखने के बाद बेचने के लिए फसल की मात्रा बहुत ही कम बचती थी। उसके नतीजतन शहरवासियों और सैनिकों के लिए खाद्य संग्रह की मात्रा में गिरावट देखने को मिलने लगी थी और शहर में अकाल के आसार दिखायी देने लगे थे।

रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में निहित स्वार्थ वाले लोग तब तक भी बड़े ताकतवर थे। बहुत सारे गरीब किसान तब भी धनी किसानों के ताबेदार थे। छोटे किसानों में जमीन से चिपके रहने की मानसिकता भी जबरदस्त थी। उसके नतीजतन कृषि उत्पादन में एक नया संकट पैदा हो गया था। इस संकट के समय लेनिन ने कहा था, "अवश्य ही यह बात याद रखनी होगी कि जब तक हम छोटे पैमाने की कृषि अर्थव्यवस्था के देश में रहेंगे तब तक रूस में पूँजीवाद का निश्चित आधार रहेगा, साम्यवाद का आधार तैयार नहीं होगा। शहर के जीवन यापन की तुलना में ग्रामीण इलाकों का जीवन यापन अगर कोई सतर्कता से पर्यवेक्षण करे तो वह देख सकेगा कि हम पूँजीवाद को जड़ से नहीं उखाड़ पाये, उसकी नींव को कमजोर नहीं कर पाये। अन्दरूनी दुश्मन की ताकत को कमजोर नहीं कर पाये। ये दुश्मन छोटे पैमाने के उत्पादन पर निर्भर करते हैं। इनको कमजोर करने का केवल एक ही रास्ता है वह है कृषि सहित देश की अर्थव्यवस्थता को नये आधार पर खड़ा करना, आधुनिक बड़े पैमाने के उत्पादन की तकनीक के आधार पर खड़ा करना।"[6] नयी आर्थिक नीति चालू होने के इस दौर में 21 जनवरी 1924 को महान लेनिन की मृत्यु हो गयी।

स्टालिन के नेतृत्व में बहुमुखी संघर्ष

समाजवादी निर्माण में इस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेनिन के घनिष्ठ सहयोद्धा स्टालिन के कंधों पर आ गई थी। अकाल के हालात में कृषि उत्पादन में वृद्धि करना उस समय एक अन्यतम चुनौती थी। स्टालिन ने भी मार्क्सवाद-लेनिनवाद की शिक्षा को याद रखते हुए छोटी जोतों में पुरानी मशीनरी को लेकर खेती करने की बजाय सामूहिक तरीके से उत्पादन में वृद्धि पर जोर दिया।

वास्तव में, 1917 में क्रांति के बाद पहले दस वर्षों में, भूमि व्यवस्था का समाजवादी परिवर्तन करने का कार्यक्रम बहुत मुश्किल था। इस काम में बाधाएं जहाँ जमींदारों, कुलकों, ग्रामीण निहित स्वार्थों और साम्राज्यवादी ताकतों की ओर से आयी, वहीं साथ ही ट्रॉटस्की, कामेनोव और बुखारिन समेत क्रांतिकारी रास्ते से भटके हुए संशोधनवादी गुट के नेताओं की ओर से भी बड़ी भारी बाधाएं आयीं। उन्होंने नई आर्थिक नीति के क्रांतिकारी महत्व को नहीं समझ कर इसको समाजवाद से पीछे हटने और पूंजीवाद की प्रति वापसी करार दिया था। कई कारणों से, कृषि की इन क्रांतिकारी गतिविधियों में कई मध्यम किसानों और गरीब किसानों को शामिल नहीं किया जा सका। सबसे पहले, लेनिन के नेतृत्व में और लेनिन की मृत्यु के बाद, स्टालिन के नेतृत्व में इस कार्य को बड़े धैर्य के साथ आगे बढ़ाना पड़ा।

बोल्शेविक पार्टी की मई 1924 में हुई तेरहवीं कांग्रेस में विभिन्न तथ्य दर्शाते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या में कमी आई। फिर, कृषि सहकारी समितियों के सदस्यों में से केवल 13 प्रतिशत सदस्य कम्युनिस्ट थे। स्टालिन ने इस घटना को ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन की संगठनात्मक कमजोरी बताया था। चूंकि सहकारी और सामूहिक खेतों की भूमि कुल खेतीलायक भूमि से काफी कम थी, इसलिए गरीब किसान अभी भी बड़ी भारी तंगहाली में जी रहे थे। इस तंगहाली को दूर करने के लिए, स्टालिन ने कहा था कि "ग्रामीण क्षेत्रों में आन्दोलन मुख्य रूप से निर्दिष्ट वास्तविक मांगों पर होना चाहिए। इन मांगों में गरीब किसानों और मध्यम किसानों की प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने सहित हर संभव मदद देना शामिल होगा। छोटे किसानों की मदद के लिए, 1924-25 में लगभग 29 करोड़ रूबल आवंटित किए गए थे। नतीजतन, 1926 में समग्र तौर पर कृषि उत्पादन युद्ध-पूर्व अवधि (1913) के बराबर स्तर पर पहुंच गया था। कृषि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, छोटे-छोटे खेतों में पुरानी पद्धति की खेती के चलते और जितने सहकारी और सामूहिक खेत बनते गये वहाँ पर्याप्त मशीनीकरण की कमी और कुलकों के तरह-तरह के विरोध के नतीजतन मांग की तुलना में बाजारीकृत फसल की मात्रा तब तक भी युद्ध से पूर्ववर्ती सालों की आधी ही रह गई थी।

दूसरी ओर, जहाँ किसानों पर पार्टी का प्रभाव कम था, वहाँ भी प्रतिक्रियावादियों ने किसानों की मांगों को लेकर उनके दोस्त होने का दिखावा किया और उनको गुमराह किया। अगस्त 1924 में जॉर्जिया के मेन्शेविक ने उसी तरह से किसानों का विद्रोह खड़ा करने की कोशिश की। यूक्रेन जो देश के खाद्य भंडारों में से एक है, वहाँ के कुलकों ने जर्मनी के उकसावे पर खेतों के सामूहिकीकरण में रोड़ अटकाने का लगातार प्रयास किया था।

ऐसे किसान प्रदर्शनों या बोल्शेविक पार्टी से किसानों की दूरी की घटनाओं पर गौर करने के लिए अक्टूबर 1924 में ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी के जरूरी कर्तव्यों पर रूस की ग्रामीण पार्टी की इकाइयों के सचिवों के सम्मेलन में स्टालिन ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी कामकाज में कमजोरी, संगठन की कमी और कार्यकर्ताओं में उचित स्तर की कमी पार्टी की मुख्य कमी-खामी का पहलू है। अतिरिक्त खाद्यान्न संग्रह करने का हिदायतनामा रद्द कर दिये जानेऔर फसली लगान वसूलना चालू किये जाने के बाद किसानों की हालत बेहतर हो जाने पर भी सांगठनिक कमजोरी रह ही गई है। क्यों? शहर में पार्टी की शक्ति के स्रोत का जिक्र करते हुए स्टालिन ने कहा था, "शहर में पार्टी के आसपास सक्रिय श्रमिकों का एक बड़ा समूह है जो शहर में हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है। वे लाखों की संख्या हैं। वे विशाल कामकाजी लोगों और पार्टी के बीच पुल के रूप में काम कर रहे हैं। ... इन सक्रिय लोगों में से ही पार्टी के नए सदस्य शामिल होते हैं, इन लोगों के जरिये ही पार्टी आम लोगों का विश्वास हासिल करती है। ... पार्टी से बाहर के ये लोग न केवल पार्टी को जनता से जोड़ने वाले एक पुल हैं, बल्कि वे शक्ति का एक आधार भी हैं। ... पार्टी तभी बढ़ेगी, ताकत हासिल कर पायेगी, जब पार्टी के बाहर के लोग पार्टी के चारों ओर बढ़ते जायेंगे और ताकत हासिल करेंगे। ऐसे सक्रिय लोगों के साथ रहे बिना, तो पार्टी कमजोर

(शेष पृष्ठ 7 पर)

किसानों के जीवन ...

(पृष्ठ 6 का शेष)

हो जाएगी, अस्थिर हो जाएगी। उन्होंने कहा था, ''ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति है? ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी संगठन बहुत कमजोर है। पार्टी के प्रति सहानुभूति रखने वाले किसान हैं। उनका संगठन उतना ही कमजोर है। फिर पार्टी के बाहर के लोगों का एक महासागर है, लाखों किसान हैं। गैर-पार्टी कार्यकर्ताओं का कमजोर संगठन उनके साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकता, किया भी नहीं। सचमुच में, यहां से यह समझा जा सकता है कि यह संगठन दबाव क्यों नहीं सह पाता है, अक्सर टूट क्यों जाता है।

आम किसानों के साथ पार्टी का यह संबंध कायम करने पर स्टालिन ने अत्यंत महत्व दिया था। यह तालमेल कायम करने की शर्तों में से एक के शर्त के रूप में उन्होंने कहा था, ''किसानों के प्रति रवैया बदलना है। यह कैसे बदलेगा? कम्युनिस्ट शिक्षा का कहना है कि पार्टी के बाहर के लोगों के पास उनके समान बन कर जाना चाहिए। अहंकारी मत बनो, बल्कि ध्यान से सुनें कि लोग क्या कहना चाहते हैं। न सिर्फ पार्टी के बाहर लोगों को सिखाना है, बल्कि उनसे खुद भी सीखना होगा। और पार्टी के बाहर के लोगों से सीखने के लिए कुछ है। हमारे पार्टी के रीति-रिवाजों के बीच पार्टी के सदस्यों और लोगों के बीच संबंध का सवाल एक बड़ा सवाल है। लेनिन ने इस संबंध को 'एक दूसरे पर विश्वास' के रूप में परिभाषित किया है। लेकिन जब तक पार्टी के बाहर के किसानों को खुद के समान मान कर नहीं देखा जाता, तब तक वे हमारे पर भरोसा नहीं कर पायेंगे। इन मामलों में विश्वास की बजाय अविश्वास पैदा हो जाएगा। नतीजतन, यह अक्सर देखा जाएगा कि गैर-पार्टी जनता और पार्टी वालों के बीच ठोस दीवार खड़ी हो गई है। बाद के वर्षों में किसानों से वह सम्पर्क कायम कर पाने के नतीजतन ही ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी में नये प्राण संचार करना संभव हुआ था।

1927 के बाद से, समाजवादी रूस ने कृषि उत्पादन बढ़ाने का उद्देश्य छोटी-छोटी कृषि जोतों को बड़ी तेजी से इकट्ठी करके सामूहिक कृषि जोत तैयार करने के लिए ठोस कदम उठाना ही बना रहा। बोल्शेविक पार्टी की पंद्रहवीं कांग्रेस में भी, स्टालिन ने कृषि उत्पादन के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए फिर से छोटे-छोटे और मामूली बिखरे हुए कृषि क्षेत्रों को मिला कर कृषि कार्य के आधार पर बड़े-बड़े संयुक्त कृषि-खेतों में बदलने, नई और बेहतर उत्पादन विधियों के आधार पर सामूहिक खेती प्रणाली शुरू करने की बात कही थी। उन्होंने आगे कहा था, ''किसान पर दबाव नहीं देकर, उन्हें समझा-बुझा कर, उनके सामने मिसाल पेश करके उन्हें छोटे-छोटे अनुत्पादक कृषि जोतों को धीरे-धीरे लेकिन सुनिश्चित गति से बड़ी कृषि जोतों में बदलना–जिन कृषि जोतों का प्रबंधन संयुक्त, सहकारी और सामूहिक कृषि कार्य के आधार पर, कृषि उपकरणों और ट्रैक्टरों की मदद से और गहन खेती के वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से किया जाएगा।''

इस बीच देश में ट्रैक्टरों और अन्य कृषि उपकरणों का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां लगाकर और सामूहिक खेतों में इन सामानों की आपूर्ति करके मशीनीकरण का काम शुरू करना संभव हुआ। अनुपजाऊ और बंजर खेतों को मुफ्त में किसानों को देकर सरकारी मदद से उन्नत-विकसित करने, उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से ट्रैक्टर और अन्य मशीनरी सस्ते रेट पर किराये पर देने, गरीब और मध्यम किसानों को ब्याजमुक्त कर्ज देने, उन्नत बीज और रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति करने, बड़ी सिंचाई व्यवस्था और वैज्ञानिक बेहतर खेतीबाड़ी करने में किसानों की मदद करने आदि के नतीजतन, 1927 में ही कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने से कृषि उत्पादन के मामले में युद्ध-पूर्व उत्पादन स्तर से आगे निकल जाने में देश सक्षम हुआ था। इस अभियान के बाद, ग्रामीण क्षेत्रों में विशाल पैमाने पर खेती का सामूहिकीकरण एक वास्तविकता बन गया था और अनुकूल परिस्थिति तैयार की थी।

1. फ्रांस में वर्ग संघर्ष (1848- 50) – कार्ल मार्क्स
2. जर्मन का किसान युद्ध ग्रंथ की भूमिका – फ्रेडरिक एंगेल्स
3. फ्रांस और जर्मनी में किसानों की समस्या – फ्रेडरिक एंगेल्स
4. गांव के गरीबों से – वी. आई. लेनिन

प्रधानमंत्री की चुप्पी...

(पृष्ठ 1 का शेष)

न तो बैंक अधिकारियों में से किसी ने, न रिजर्व बैंक ने और न ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसके बारे में कोई चूं तक की। जब बैंक के लिए भ्रष्टाचार की मात्रा खतरनाक हो गई है, तो इस मामले में हो-हल्ला मचना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री, जो बात-बेबात टिप्पणी करते रहते हैं, मामूली बातों के बारे में ट्वीट्स करते रहते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में देश का यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होने के बावजूद, उसी प्रधानमंत्री ने अब तक चूं तक नहीं की है। यह नहीं कहा कि भारी मात्रा में धन जिन्होंने हड़प लिया है, उन में से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या प्रधानमंत्री की यह चुप्पी अपराधियों को बचाने के लिए है?

देश के धनकुबेरों ने दस लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गायब कर दिए हैं। सत्ता में आने से पहले, प्रधानमंत्री ने सिर से पैर तक भ्रष्ट कांग्रेस की ओर ऊंगली उठाते हुए कहा था, 'न खाऊंगा, न ही खाने दूंगा'। जबकि, नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के इर्दगिर्द भीड़ किये बैठे धनकुबेर, मौके का फायदा उठाने वाले अवसरवादी लोग दोनों हाथों से लूट-खसोट कर खा रहे हैं, देश की संपत्ति लुट रही है। आज तक, सरकार ने किसी भी धोखेबाज धनकुबेर को मुकदमा चला कर सजा देना तो दूर की बात रही, उनको गिरफ्तार तक नहीं किया है। बल्कि, इस धोखाधड़ी के कारण लड़खड़ा रहे बैंकों के इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार जनता के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई से वसूले गये टैक्सों से बने सरकारी खजाने से लगातार पानी की तरह रुपये बहाये जा रही है। पिछले साल सरकार ने सरकारी बैंकों को बचाने के नाम पर 2 लाख 12 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी प्रदान करने की घोषणा की थी। जबकि महज कुछेक हजार रुपये का कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं होने पर, हजारों किसानों ने देश में आत्महत्या की है। देश में ऐसी भी घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं कि एक छोटी-सी दुकान चलाने के लिए लिया गया कर्ज न चुका पाने पर दुकानदार को पुलिस हथकड़ी लगा कर ले जाती है।

एक के बाद एक, ऐसे वित्तीय भ्रष्टाचार दर्शा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का नोटबंदी करने का उद्देश्य काला धन बरामद करने या भ्रष्टाचार को दूर करना नहीं था। असली उद्देश्य एक तरफ धनकुबेरों के पास भारी मात्रा में जमा काले धन को सफेद करने का मौका देना था, और दूसरी ओर लोगों के पास रखी अपनी आखिरी दमड़ी तक को बैंकों में जमा करने के लिए मजबूर करना था ताकि अंबानी-अडानी-नीरव मोदी बेरोकटोक पैसा लूट सकें। जहाँ सरकार की मंशा यह है, वहाँ इसमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि एफआरडीआई जैसे बिल लाने का उद्देश्य लोगों के हितों की रक्षा करना नहीं है, बल्कि लोगों के पैसों को लूटना और धनकुबेरों की तिजोरियाँ भरना है।

वास्तव में, ऐसे कई नीरव मोदी नरेंद्र मोदी को घेरे हुए हैं। वे ही सरकार हैं, वे ही प्रशासन हैं। उनके लिए ही सरकार की नीतियाँ बनती हैं, वे ही देश की नीतियाँ क्या होंगी यह तय करते हैं। इसलिए सरकार चुप रहती है, भले ही उनका भ्रष्टाचार आकाश छू रहा हो। वह जब हद पार कर जाता है, तब एक-आध को, छोटी-छोटी मछलियों को दोषी ठहरा कर बड़े-बड़े मगरमच्छों को बचाया जाता है। इसलिए, पिछले चार वर्षों में, अंबानी-अडानी-नीरव-मेहूल भाइयों की संपत्ति दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। पिछले एक साल में प्रकाशित एक निजी अध्ययन में, उनकी संपत्ति में 20.9 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जो कि 2017-18 के केंद्रीय बजट के बराबर है।

देश के करोड़ों आम आदमी भुखमरी के शिकार हैं, वे बिना इलाज के बेमौत मरते हैं, वे अनपढ़ता के अंधकार में पड़े हैं, कुसंस्कार-अंधविश्वासों में डूबे हुए हैं, उनके लिए खर्च करने के लिए सरकार पैसे की कमी का रोना रोती रहती है, लेकिन उन्हीं भूखे, बीमार लोगों की कड़ी मेहनत से कमाये गए पैसों को टैक्सों के रूप में वसूल कर उससे पूंजीपतियों की तिजोरियाँ भरने के लिए सरकार की तत्परता में कभी कोई कमी नहीं रहती है। ये बातें इस देश में लंबे समय से चली आ रही हैं। तब यह सरकार किसकी है–देश के 99 प्रतिशत आम आदमियों की, या एक प्रतिशत धनकुबेरों की? सरकार को कौन चला रहे हैं–जनता के प्रतिनिधि, या धनकुबेर? सरकार के आचरण-व्यवहार ने साबित कर दिया है कि देश में आम आदमी नहीं, बल्कि मुट्ठी भर धनकुबेर ही उसके असली मालिक हैं और सरकार है इन पूंजीपतियों-धनकुबेरों की राजनैतिक प्रबंधक, जिसका काम है ऐसी व्यवस्था करना जिससे कि देश के लोगों का सर्वस्व ये धनकुबेर लूट सकें–सीधे-सीधे न कर पायें, तो कानून के तहत और कानूनन नहीं कर पायें तो कानून की धज्जियाँ उड़ा कर।

नीरव मोदी घोटाले में जन विक्षोभ जब उफान पर पहुंच रहा है, मोदी सरकार के साथ घोटालेबाजों की मिलीभगत जग जाहिर हो चुकी है, तब बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कांग्रेस इसमें उतर गई है। पूंजीपतियों द्वारा संचालित मीडिया भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के दबी जबान से किये गए भ्रष्टाचार-विरोधी ट्वीटों को भी हवा दे रहा है। भुला दिया जा रहा है कि महज चार वर्ष पहले इसी कांग्रेस-नीत सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही देश के लोगों ने हुंकार उठाई थी और कांग्रेस सरकार हरा दी गई थी। इस नीरव-भ्रष्टाचार की शुरुआत भी 2011 में कांग्रेस के शासनकाल में ही हुई थी। इलाहाबाद बैंक के पूर्व निर्देशक दिनेश दुबे ने दावा किया है कि उन्होंने 2013 में नीरव मोदी के मामा मेहुल चौकसी को ऋण न देने की अर्जी देकर वित्त सचिव को पत्र लिखा था। उसने शिकायत रिजर्व बैंक से की लेकिन उल्टे उसी को इस्तीफा देने को कहा गया। आरोप लगा है कि 2013 में 13 सितंबर को नीरव की प्रदर्शनी में राहुल गांधी गए थे। उसके अगले दिन ही तो उसका कर्ज मंजूर हो जाता है। राहुल गांधी का भ्रष्टाचार विरोध चुनावी स्वार्थ में संसदीय विरोध है, जो महज गद्दी दोबारा पाने का मकसद लेकर किया गया है। वरना भ्रष्टाचार के सवाल पर कांग्रेस-बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

1990 के दशक की शुरूआत में कांग्रेस-नीत उदारीकरण-निजीकरण की नीति के तहत इस भ्रष्टाचार की बाढ़ का फाटक खोल दिया गया था। शुरू किया गया सरकारी और जनता की संपत्ति लूटने का महोत्सव। बारी-बारी से कांग्रेस बीजेपी उन लूटरों को बचाने का काम कर रही हैं। इस व्यवस्था को टिकाये रखकर, केवल सरकार बदल कर ही लोगों की संपत्ति की यह लूट बंद नहीं की जा सकती है। इसके लिए चाहिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध जोरदार जनआन्दोलन, और उस आन्दोलन में बड़ी संख्या में लोगों की सक्रिय भागीदारी।

अन्य विवरण फॉर्म 4 (नियम 8 देखिए)

प्रकाशन का स्थान	: 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
प्रकाशन की अवधि	: पाक्षिक
मुद्रक का नाम	: सत्यवान
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
प्रकाशक का नाम	: सत्यवान
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
सम्पादक का नाम	: सत्यवान
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
उन व्यक्तियों के नाम एवं पते जो अखबार के स्वामी हैं या जो कुल पूँजी के एक प्रतिशत या उससे अधिक के हिस्सेदार हैं	: सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर ऑफ इण्डिया(कम्युनिस्ट)

मैं सत्यवान, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि दिए गए उपरोक्त विवरण मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सत्य हैं।

ह. सत्यवान

दिनांक : 5 मार्च, 2018 प्रकाशक के हस्ताक्षर

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2018-20
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly, Date of Printing : March 5, 2018

सर्वहारा दृष्टिकोण

7 से 21 मार्च, 2018

श्री पुत्तनाहिया के निधन पर एसयूसीआई (सी) ने व्यक्त की शोक-संवेदना

सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट), कर्नाटक राज्य कमेटी ने 18. फरवरी 2018 को मंड्या में राज्य में प्रगतिशील किसान आन्दोलन के नेता श्री पुत्तनाहिया की हृदय गति रुकने से हुई असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। हम श्री पुत्तनाहिया के साथ संयुक्त वाम और लोकतांत्रिक जन आन्दोलनों में, विशेष रूप से महामिथरी में अपने लंबे सहयोग को स्मरण करते हैं, जिसने कांग्रेस, जनता दल और भाजपा के कुशासन के खिलाफ आन्दोलनों का शुभारंभ करने के लिए आन्दोलन शुरू किया था। एसयूसीआई (सी), कर्नाटक राज्य कमेटी के सचिव कॉमरेड के राधाकृष्ण ने यह जानकारी दी।

एक ऐसे समय जब राज्य में हमारी पार्टी समेत वाम और लोकतांत्रिक दलों और ताकतों तथा व्यक्तियों के साथ संयुक्त लोकतांत्रिक आन्दोलन को रूपाकार दिया जा रहा था, खासकर जब दबे-पिसे लोग, किसान, कृषि मजदूर और श्रमिक वैश्वीकरण की नीतियों से काफी हद तक पीड़ित हो रहे हैं और साम्प्रदायिक ताकतें अपना मनहूस सिर उठा रही हैं, श्री पुत्तनाहिया के निधन से इस आंदोलन को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा है। श्री पुत्तनाहिया को श्रद्धांजलि देते हुए हमारी पार्टी ने राज्य के किसानों से इस आन्दोलन को मजबूत करने का आह्वान किया है जिनके लिए उन्होंने दिन-रात काम किया था।

मंजूर मांगों को लागू कराने के लिए दिल्ली आशा वर्करों का प्रदर्शन

नई दिल्ली : एआईयूटीयूसी से सम्बंधित दिल्ली आशा वर्कर्स एसोसिएशन (दावा यूनियन) के आह्वान पर 22 फरवरी को सैकड़ों आशा वर्कर्स दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन करने के लिए सिविल लाइन मैट्रो स्टेशन पर एकत्र हुई। उन्होंने 'दिल्ली सरकार आशाओं से किये वादे पूरे करो', 'सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो', 'इन्सेंटिव नहीं, 20,000 रु. न्यूनतम वेतन दो', 'निकम्मे व भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद', 'आशाओं को सम्मान दो', 'ईएसआई-पीएफ का लाभ दो' आदि नारे लगाए। दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री आवास न जाने देने पर एन.एच.एम. मुख्यालय विकास भवन पर धरना-प्रदर्शन किया और सभा की।

यूनियन की कार्यकारी अध्यक्ष सोनू व महासचिव शिक्षा राणा ने अपने सम्बोधन में कहा कि 29 सितम्बर 2017 को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने हमारा इन्सेंटिव दोगुना करने सहित हमारी कई माँगें स्वीकार कर ली थी और कहा था कि इनको 1अक्टूबर 2017 से लागू किया जाएगा मगर चार महीने से अधिक बीतने पर भी इनको लागू नही किया गया। सरकार व प्रशासन के इस अनुचित व्यवहार से आशा वर्कर दुखी व परेशान हैं। इसलिए उन्हें फिर से आन्दोलन शुरू करना पड़ रहा है। यदि जरूरत पड़ी तो हम फिर से हड़ताल शुरू करेंगे।

प्रदर्शनकारियों को एआईयूटीयूसी के दिल्ली राज्य अध्यक्ष हरीश त्यागी व दिल्ली आशा वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष व एआईयूटीयूसी दिल्ली राज्य सचिव एम. चौरसिया ने माँग की कि 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार केंद्र व राज्य सरकार को सभी आशा वर्करों को कर्मचारी का दर्जा देकर न्यूनतम वेतन

दिल्ली : अपनी ज्वलंत मांगों पर प्रदर्शन करते हुए आशा वर्कर

तुरंत लागू करें। परंतु दुख की बात है कि दोनों ही सरकारें जानबूझकर इस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। कॉ. एम. चौरसिया के नेतृत्व में नार्थ जोन से निर्मला, ईस्ट जोन से सन्ध्या, साउथ जोन से दीपा व वेस्ट जोन से ललिता के पांच सदस्यीय प्रतिनिमिंडल ने मुख्यमंत्री कार्यालय में एक ज्ञापन दिया। जिन्होंने सरकार द्वारा आशा यूनियन से किये गये वादों को एक माह में लागू करने का आश्वासन दिया। यूनियन ने घोषणा की है यदि सरकार मार्च के अंत तक लागू नही करेगी तो अप्रेल के तीसरे सप्ताह को दिल्ली सरकार की 'वादा खिलाफी विरोधी सप्ताह' मनाया जाएगा। एआईयूटीयूसी द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सभा करने की घोषणा भी की गई जिसमें सभी आशा बहनों से अन्य कामकाजी महिलाओं को भी इसमें शामिल करने की अपील की गई। इस कार्यक्रम का संचालन कार्यालय सचिव कविता सिंह ने किया। सभा को सन्ध्या, सुमित्रा, कंचन, दीपा, सरोज, उर्मिला, डिम्पल आदि आशा नेत्रियों ने भी सम्बोधित किया।

केंद्रीय बजट है शिक्षा-विरोधी — एआईडीएसओ

ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए केंद्रीय बजट शिक्षा-विरोधी है, भाजपा-नीत केंद्र सरकार का चुनाव-पूर्व भ्रामक दस्तावेज है और देशवासियों, विशेष रूप से छात्र समुदाय को इसके खिलाफ विरोध करने के लिए मजबूर कर दिया है। एआईडीएसओ के महासचिव अशोक मिश्रा ने कहा कि यह बजट कॉरपोरेट घरानों के हित का बजट है और यह आम लोगों पर और अधिक बोझ लादेगा। जबकि नोटबंदी, कैश-लैस डिजिटल इकोनॉमी, जीएसटी और खुदरा क्षेत्र में 100% एफडीआई की शुरुआत ने गरीब श्रमिकों, किसानों, छोटे व्यापारियों और कम आय वाले वर्ग की रीढ़ को तोड़ दिया, यह बजट शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के लिए रास्ता तैयार करेगा।

हालांकि, सरकार द्वारा राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपालों, सांसदों को मिलने वाले वेतन में वृद्धि की गई है और वीवीआईपी के लिए उपयोग किए जाने वाले दो नए विमान बोइंग 777-300 ईआर खरीदने के लिए 4495 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजटीय आवंटन में शिक्षा क्षेत्र की सबसे ज्यादा अनदेखी की गई है। यद्यपि अगले प्रमुख चुनावों में चुनावी लाभ लेने के लिए व मतदाताओं को धोखा देने के लिए कई प्रमुख परियोजनाएं घोषित की गई हैं। लोगों को आशंका है कि ये भी एक 'चुनावी जुमले' ही हैं! राजनीतिक घोषणा पत्र शायद ही कभी लागू होते हैं; तो ये लोक लुभावन योजनाएं कैसे लागू होंगी? इन सभी विशाल कार्यक्रमों को लागू करने के लिए, आवश्यक धन कहाँ से आएगा, इसका कोई उल्लेख बजट में नहीं है।

शिक्षा उपकर में 3% से 4% की वृद्धि हुई है जो सामान्य लोगों पर 2750 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डाल देगा। दूसरी तरफ, इसे 'स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर' का नाम दिया गया है। यह कहना अनावश्यक है कि बीमा कंपनियों, दवा निर्माताओं और निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के हित में शिक्षा उपकर का इस्तेमाल किया जाएगा। यह प्रचार किया जा रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 85,010 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं, जो पिछले वर्ष 81,869 रुपये के आवंटन से 3.69% अधिक है। लेकिन वास्तव में यह आवंटन पिछले वर्ष के केंद्रीय बजट का 3.69% से घटकर इस साल के केंद्रीय बजट का 3.48% कर दिया गया है। मुद्रास्फीति और आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि के पीछे देखा जाये तो वास्तव में यह मामूली वृद्धि नकारात्मक मूल्य को ही दर्शाती है। अगर सरकार वास्तव में हमारे देश की शिक्षा के बारे में चिंतित होती तो, वह उच्च शिक्षा के बजट में कटौती कभी नहीं करती। उल्लेखनीय है कि यूजीसी को 2014-15 के बजट में 8,906 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया था। यूजीसी के लिए बजटीय आवंटन पिछले वर्ष के 4923 करोड़ रुपये से घटाकर इस साल 4723 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इसका नतीजा यह होगा कि संस्थानों का अनुदान घटा दिया जाएगा। आईआईटी के लिए बजट में से फंड आवंटन पिछले साल के 8,244.8 करोड़ रुपये से घटाकर 2018-19 में 6,236 करोड़ रुपये कर दिया गया है। डिजिटल शिक्षा का बजट 518 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये कर दिया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकारी संस्थानों में अध्यापक, गैर-शिक्षण कर्मचारी और बुनियादी ढांचे के विकास की निश्चित आवश्यकता है, सरकार ने बजट में इस दिशा में कोई प्रावधान नहीं किया है। 2014-15 में 1,158 करोड़ रुपये के मुकाबले शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा के लिए 871 करोड़ रुपए बजट आवंटन हुआ है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दशकों से यह शिक्षाविदों और शिक्षा-प्रेमियों की मांग रही है कि भारत में शिक्षा प्रसारित करने के लिए केंद्रीय बजट का कम से कम 10% शिक्षा के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि पिछले 70 सालों में हम इसके आस-पास भी नहीं आए हैं। केंद्र सरकार की आर्थिक जिम्मेदारी 2013-14 में जीडीपी की 0.63% थी जो अब घटकर चालू वर्ष में 0.45% रह गई है। इसके अलावा, शिक्षा के लिए इस आवंटित बजट का एक बड़ा हिस्सा निजी उद्यमियों के पक्ष में खर्च किया जाएगा।

इसके अलावा एक नई पहल आरआईएसई (Revitalising Infrastructure and System in Education) का बहुत अधिक प्रचार किया जा रहा है। इससे पहले सरकार आधारभूत ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों को सालाना औसत 10,000 करोड़ रुपये दे रही थी। लेकिन इस साल केन्द्रीय सरकार ने उच्च शिक्षा के वित्त पोषण के लिए एक 'नया मॉडल' बनाया है। यह मॉडल मौजूदा बजट अनुदान से ऋण मॉडल के लिए उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (एचईएफए) के माध्यम से वित्त पोषण के लिए सभी बुनियादी ढांचे को स्थानांतरित कर देगा। इस मॉडल के तहत एचईएफए बाजार से धन जुटाएगा और संस्थानों को 10 साल का ऋण देगा। संस्थानों को चार साल में एक लाख करोड़ रुपये तक का उधार लेने की सीमा है जो प्रति वर्ष 25,000 करोड़ रुपये है। सरकार मूलधन के 75% और खर्च किए गए ब्याज के लिए लागत को सहन करेगी और संस्थान को मुख्य लागत का 25% भुगतान करना होगा। एक घृणित प्रचार किया जा रहा है कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट में 10,000 से 25,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। लेकिन 10,000 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिए गए हैं और 25,000 करोड़ रुपए ऋण के रूप में है। बिना किसी संदेह के, हम यह कह सकते हैं, यह नीति विद्यार्थियों पर एक आर्थिक बोझ डालेगी। यह घोषणा की जाती है कि एसएसए और आरएमएसए को 12 वीं कक्षा तक की शिक्षा के समग्र विकास के लिए विलय कर दिया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि यह माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विकास में बाधा डालेगा, क्योंकि फण्ड को एक अलग विषय में बदल दिया जाएगा।

शिक्षा बजट में कटौती करके, बीजेपी सरकार शिक्षा को महंगी करने पर तुली हुई है और सभी तरह के निजीकरण और व्यावसायीकरण को और अधिक प्रोत्साहन दे रही है। इसलिए, एआईडीएसओ इसका जोरदार विरोध करता है और मांग करता है कि शिक्षा की वित्तीय जिम्मेदारी केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कंधों पर ही होनी चाहिए और शिक्षा के लिए केंद्रीय बजट के 10% और राज्य के बजट का 30% आवंटित किया जाना चाहिए।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."

Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com फोन नं. : 011-25726631, 9868350503